

न्यायालय : अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर०ए०एस०
अपील प्रकरण सं० 5७/2016



1. कलावती देवी पत्नी श्री बलवन्तराम जाति जाट निवासी गांव व डाकखाना फतूही, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. अमित कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री अशोक कुमार जाति जाट निवासी 91 बैंक कॉलोनी, सी.जी.आर. मॉल के सामने, श्रीगंगानगर
2. तमन्ना पुत्री स्वर्गीय श्री अशोक कुमार जाति जाट निवासी 91 बैंक कॉलोनी, सी.जी.आर. मॉल के सामने, श्रीगंगानगर
3. शारदा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री अशोक कुमार जाति जाट निवासी 91 बैंक कॉलोनी, सी.जी.आर. मॉल के सामने, श्रीगंगानगर
4. राजस्थान सरकार, जरिये उप तहसीलदार (राजस्व) हिन्दूमलकोट, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस



उपस्थित :

1. श्री मोहनलाल छाबडा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री राजेश गुम्बर, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

आदेश

दिनांक :- 12.02.2018

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्त के पुत्र का नाम अशोक कुमार था जिसका देहान्त दिनांक 14.02.2016 को हो चुका है। मृतक अशोक कुमार के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जायज वारिसान माता अपीलान्तान एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 है। अपीलान्तान के पुत्र अशोक कुमार के नाम से खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 500 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 29/26, मुरब्बा नम्बर 20, 26 व 28 में 1.300 हैक्टर, चक 2 ई बडी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 3/3, मुरब्बा नम्बर 50 में 0.291 हैक्टर व चक 1 एफ बडा, तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 29/34, मुरब्बा नम्बर 24 व 48 में 3.806 हैक्टर यथा कुल 5.397 हैक्टेयर नहरी दर्ज रिकॉर्ड थी। अशोक कुमार द्वारा अपने जीवनकाल में कभी भी अपनी उक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि की वसीयत निष्पादित नहीं की एवं अशोक कुमार निर्वसीयत स्वर्गवास हुआ। अशोक कुमार के देहान्त उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 3 के साथ आपस में दुर्भिसन्धि कर एवं गवाहन से साजिश कर फर्जी व साजिशी अनरजिस्टर्ड वसीयत कोरे कागत पर तैयार कर अशोक कुमार के नाम की उक्त वर्णित विवादित भूमि का इन्तकाल कथित वसीयत दिनांकित 16.08.2013 के आधार पर स्वीकृत करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना समुचित जांच किये एवं बिना विधिक वारिसान (अपीलान्तान) को नोटिस जारी किये एकपक्षीय रूप से विधिक प्रावधानों की अवहेलना में आदेश जेर अपील पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से कथित वसीयत

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

दिनांक 16.08.2013 के आधार पर इन्तकाल दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये । आदेश जेर अपील दिनांकित 15.07.2016 खिलाफ कानून व रूएदाद मिसल है। आदेश जेर अपील यकतरफा एवं बिना सुनवाई के तथा बिना अपीलान्टा को नोटिस दिये प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया है। कथित वसीयत दिनांक 16.08.2013, जो कि प्रथम दृष्टया फर्जी एवं साजिशी दस्तावेज है जो कि अवलोकन मात्र से ही प्रतीत होता है एवं वसीयत को कम्प्यूटर से टंकण करवाया जाकर दिनांक हाथ से अंकित की गयी है जो कि स्पष्टतया प्रमाणित करती है कि अशोक कुमार के देहान्त उपरान्त वसीयत गवाहान से साजिश कर तैयार की जाकर दिनांक पहले की अंकित की गयी है। उक्त तथ्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष स्पष्ट थे लेकिन समस्त तथ्यों को नजरअन्दाज किया जाकर आदेश जेर अपील पारित किया गया है जोकि अपास्त किये जाने योग्य है। इन्तकाल जेर अपील लैन्ड रूल्स की खुल्लमखुल्ला अवहेलना में तस्दीक किया गया है किसी भी विधिक प्रावधान की पालना नहीं की गयी है। कथित वसीयत पंजीकृत नहीं है इसलिये भी भू-राजस्व अधि. के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसी वसीयत के आधार पर इन्तकाल स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो. संख्या 1 के द्वारा विधि के आज्ञापत प्रावधानों के विपरीत एवं गलत तथ्य प्रस्तुत कर महज रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 को मृतक अशोक कुमार का वारिस होना दर्शाकर कूटरचित दस्तावेज वारिसानामा सदोष लाभ प्राप्त करने के आशय से एवं अपीलान्टा को सदोष हानि पहुंचाने के आशय तैयार करवाकर प्रस्तुत किया एवं रेस्पो. संख्या 2 ता 3 के द्वारा इस कूटरचित दस्तावेज को पुख्ता करने के आशय से एकपक्षीय सहमति के ब्यान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कलमबद्ध करवाये जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत माता अपीलान्टान मृतक अशोक कुमार की जायज वारिस है इसलिये अधीनस्थ न्यायलय द्वारा वारिसों की भली प्रकार से जांच नहीं की गयी एवं विधि विरुद्ध ढंग से हर कानूनी बिन्दु को नजरअंदाज किया जाकर आदेश जेर अपील पारित किया गया है। इन्तकाल जेर अपील क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर तस्दीक किया गया है, प्रथम 45 दिवस तक नियमों के अनुसार इन्तकाल स्वीकृत करने का क्षेत्राधिकार सरपंच का है, तदुपरान्त ही अधीनस्थ न्यायालय इन्तकाल स्वीकृत कर सकती थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा कूटरचना से अशोक कुमार के देहान्त उपरान्त फर्जी व साजिशी वसीयत तैयार कर एवं कूटरचित वारिसनामा बिना अपीलान्टा को वारिस दर्शाये तैयार कर अधीनस्थ न्यायलाय से मृतक अशोक कुमार की खातेदारी भूमि का कथित वसीयत के आधार पर इन्तकाल स्वीकृत करने का आदेश प्राप्त किया है जो हर कानूनी व वाकेआती बिन्दु पर निरस्त किये जाने योग्य है एवं अपीलान्टा मृतक अशोक कुमार की भूमि का विरास्तन इन्तकाल स्वीकृत करवाकर 1/4 हिस्सा भूमि प्राप्त करने की विधिक अधिकारी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आदेश जेर अपील की आड में विवादित भूमि के पृथक पृथक तीन इन्तकाल कमशः इन्तकाल संख्या 545, 557 एवं 849 स्वीकृत करवाय लिये । जो हर कानूनी व वाकेआती बिन्दु पर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्टा स्वीकार की जाकर आदेश जेर अपील दिनांकित 15.07.2016 निरस्त फरमाया जावें एवं अपीलान्टा तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के नाम से बहिस्सा बराबर बराबर विरास्तन इन्तकाल स्वीकृत करने हेतू अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि मृतक अशोक कुमार के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जायज वारिसान माता अपीलान्टान एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 है। अपीलान्टा के पुत्र अशोक कुमार के नाम से खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 500 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 29/26, मुरब्बा नम्बर 20, 26 व 28 में 1.300 हैक्टर, चक 2 ई बडी , तहसील व जिला



अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

श्रीगंगानगर के खाता संख्या 3/3, मुरब्बा नम्बर 50 में 0.291 हैक्टर व चक 1 एफ बडा , तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 29/34, मुरब्बा नम्बर 24 व 48 में 3.806 हैक्टर यथा कुल 5.397 हैक्टेयर नहरी दर्ज रिकॉर्ड थी। अशोक कुमार द्वारा अपने जीवनकाल में कभी भी अपनी उक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि की वसीयत निष्पादित नहीं की एवं अशोक कुमार निर्वसीयत स्वर्गवास हुआ। अशोक कुमार के देहान्त उपरान्त रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने रेस्पोजेन्ट संख्या 2 ता 3 के साथ आपस में दुर्भिसन्धि कर एवं गवाहन से साजिश कर फर्जी व साजिशी अनरजिस्टर्ड वसीयत कोरे कागत पर तैयार कर अशोक कुमार के नाम की उक्त वर्णित विवादित भूमि का इन्तकाल कथित वसीयत दिनांकित 16.08.2013 के आधार पर स्वीकृत करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना समुचित जांच किये एवं बिना विधिक वारिसान (अपीलान्टा) को नोटिस जारी किये एकपक्षीय रूप से विधिक प्रावधानों की अवहेलना में आदेश जेर अपील पारित करते हुए रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के नाम से कथित वसीयत दिनांक 16.08.2013 के आधार पर इन्तकाल दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये । आदेश जेर अपील दिनांकित 15.07.2016 खिलाफ कानून व रूएदाद मिसल है। आदेश जेर अपील यकतरफा एवं बिना सुनवाई के तथा बिना अपीलान्टा को नोटिस दिये प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया है। कथित वसीयत दिनांक 16.08.2013, जो कि प्रथम दृष्टया फर्जी एवं साजिशी दस्तावेज है जो कि अवलोकन मात्र से ही प्रतीत होता है एवं वसीयत को कम्प्यूटर से टंकण करवाया जाकर दिनांक हाथ से अंकित की गयी है जो कि स्पष्टतया प्रमाणित करती है कि अशोक कुमार के देहान्त उपरान्त वसीयत गवाहन से साजिश कर तैयार की जाकर दिनांक पहले की अंकित की गयी है। उक्त तथ्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष स्पष्ट थे लेकिन समस्त तथ्यों को नजरअन्दाज किया जाकर आदेश जेर अपील पारित किया गया है जोकि अपास्त किये जाने योग्य है। इन्तकाल जेर अपील लैन्ड रूल्स की खुल्लमखुल्ला अवहेलना में तस्दीक किया गया है किसी भी विधिक प्रावधान की पालना नहीं की गयी है। कथित वसीयत पंजीकृत नहीं है इसलिये भी भू-राजस्व अधि. के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसी वसीयत के आधार पर इन्तकाल स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के द्वारा विधि के आज्ञापत प्रावधानों के विपरीत एवं गलत तथ्य प्रस्तुत कर महज रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ता 3 को मृतक अशोक कुमार का वारिस होना दर्शाकर कूटरचित दस्तावेज वारिसानामा सदोष लाभ प्राप्त करने के आशय से एवं अपीलान्टा को सदोष हानि पहुंचाने के आशय तैयार करवाकर प्रस्तुत किया एवं रेस्पोजेन्ट संख्या 2 ता 3 के द्वारा इस कूटरचित दस्तावेज को पुख्ता करने के आशय से एकपक्षीय सहमति के ब्यान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कलमबद्ध करवाये जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत माता अपीलान्टान मृतक अशोक कुमार की जायज वारिस है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वारिसों की भली प्रकार से जांच नहीं की गयी एवं विधि विरुद्ध ढंग से हर कानूनी बिन्दु को नजरअन्दाज किया जाकर आदेश जेर अपील पारित किया गया है। इन्तकाल जेर अपील क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर तस्दीक किया गया है, प्रथम 45 दिवस तक नियमों के अनुसार इन्तकाल स्वीकृत करने का क्षेत्राधिकार सरपंच का है, तदुपरान्त ही अधीनस्थ न्यायालय इन्तकाल स्वीकृत कर सकती थी। रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा कूटरचना से अशोक कुमार के देहान्त उपरान्त फर्जी व साजिशी वसीयत तैयार कर एवं कूटरचित वारिसानामा बिना अपीलान्टा को वारिस दर्शाये तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय से मृतक अशोक कुमार की खातेदारी भूमि का कथित वसीयत के आधार पर इन्तकाल स्वीकृत करने का आदेश प्राप्त किया है जो हर कानूनी व वाकैआती बिन्दु पर निरस्त किये जाने योग्य है एवं अपीलान्टा मृतक अशोक कुमार की भूमि का विरास्तन इन्तकाल स्वीकृत करवाकर 1/4 हिस्सा भूमि प्राप्त करने की विधिक अधिकारी है। रेस्पोजेन्ट



अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

संख्या 1 द्वारा आदेश जेर अपील की आड में विवादित भूमि के पृथक पृथक तीन इन्तकाल कमशः इन्तकाल संख्या 545, 557 एवं 849 स्वीकृत करवाय लिये । जो हर कानूनी व वाकेआती बिन्दु पर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्टा स्वीकार की जाकर आदेश जेर अपील दिनांकित 15.07.2016 निरस्त फरमाया जावें एवं अपीलान्टा तथा रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ता 3 के नाम से बहिस्सा बराबर बराबर विरास्तन इन्तकाल स्वीकृत करने हेतू अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट ने बहस में कथन किया कि अपीलान्टा वारिसानामा में पक्षकार ही नहीं है, जब अपीलान्टा वारिसानामा में पक्षकार ही नहीं है तो वह अपील करने की अधिकारी ही नहीं है। उक्त वारिसानामा को अपीलान्टा द्वारा गलत होने के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में चैलेंज ही नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलान्टा खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया। अपीलाधीन आदेश जिस अपंजीकृत वसीयत के आधार पर दिया गया है उसको देखने से स्पष्ट हो जाता है कि उसमें वसीयतकर्ता अशोक कुमार द्वारा यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि वसीयत की जाने वाली सम्पति उसकी स्व. अर्जित सम्पति है और उसे इसकी वसीयत करने का कानूनन अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर यह रिपोर्ट ली जानी अपेक्षित की है कि रेस्पोजेन्ट 01 के द्वारा भूमि पैतृक है या स्वयं अर्जित है। पटवारी ने इस पर आवेदन की पुश्त पर रिपोर्ट की है, जिसको देखने से प्रमाणित है कि वसीयत के अधीन की "उक्त भूमि पैतृक कृषि भूमि है"। सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन अखबार में आवश्यक कराया गया है परन्तु इसकी प्रति की कार्यालय नोटिस बोर्ड ग्राम पंचायत फतूही के नोटिस बोर्ड तथा पटवारी हल्का पर चरप्पांदगी की कोई रिपोर्ट रिकॉर्ड पर नहीं पाई गई। इससे स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध में आम सूचना स्थानीय इलाके में सम्यक प्रचारित नहीं हुई। अपंजीकृत वसीयत के कर्ता मृतक अशोक का कार्यालय सभापति नगरपरिषद, श्रीगंगानगर से क्रमांक 8173 दिनांक 15.06.2016 को जारी वारिस प्रमाण-पत्र मुताबिक उसके रेस्पोजेन्ट संख्या 1 से 3 वारिस है। अपीलांटा मृतक की माता है परन्तु उसका नाम वारिसान में शामिल नहीं है। अपीलांटा को इस प्रकरण में अधीनस्थ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सूचित कर सुना जाना भी नहीं पाया गया। चूंकि वसीयत से अंतरित की गई सम्पति पैतृक प्रतिवेदित हुई है तो मृतक के समस्त विधिक वारिसान को सुना जाकर निर्णय किया जाना कानूनन जरूरी है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार हिन्दूमलकोट का अपीलाधीन आदेश 15.07.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मृतक अशोक कुमार के उसकी वैयक्तिक विधि के परिप्रेक्ष्य में सभी विधिक वारिसान को सूचित करते हुए तदनुसार बाद जांच एवं कानून सम्मत कार्यवाही कर समुचित आदेश पारित करें। आदेश की प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 12.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(निखतदान बारइनेन)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)
श्रीगंगानगर।